

# फद अहकाम

(नियम 26)

आअदालत

उपखण्ड अधिकारी

राजगढ़ (चूरु)

मुकाम

संतलाल

बनाम सरकार

किस्म मुकदमा

प्रपत्र

नं.

266/19

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
20 8/9	<p>श्रीमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत चारा 136 L.R. अर्च. का कार्यालय रिपोर्ट होवर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जा का मिसाल दिनांक 27-9-19 भी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरु)</p>	
27 9/19	<p>वकूलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.पी.ओ. साहब स्थानान्तरण पर पेश हुए हैं। मिसाल दिनांक 6-11-19 को पेश हो।</p>	
6 11/19	<p>वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठसभ अधिकारी महोदय, चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसाल दिनांक 10/12/19 को पेश हो। जाँच रिपोर्ट प्राप्त/शामिल मिला है।</p>	
10 12/19	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। वहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अशुद्ध दर्ज होना कथन करते हुए शुरु करने का अनुरोध-चाहा है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार विवाहित कृषि शर्मा की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम विरासतन इन्तकाल के जरिए दर्ज हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कुसी/नामा व उसकी जाँच के आन्वय पर दर्ज किया जाता है व सड़म अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तस्दीक किया जाता है जिस कारण प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में विहित प्रक्रिया के अन्वय दर्ज हुआ है जिसमें चारा 136 श्री राजस आचिनिपत्र</p>	

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही विवरण

के प्रावधानों आकर्षित नहीं होते हैं तथा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थी का ग्रह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी चाहे गये अनुतोष के लिए अन्य कानूनी विकल्पों के प्रयोग हेतु स्वतंत्र हैं।

अतः प्रार्थी का ग्रह प्रार्थना पत्र संचारणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल फैसला बुझा हो कर दायित्व दफ्तर हो।

उपरग्रह अधिकारी  
राजगढ़ (घरु)